भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5062

(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्माण लागत

5062. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत तीन करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 75,000 रुपये की राजसहायता पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में उच्च निर्माण लागत को पर्याप्त रूप से परिलक्षित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों वाले राज्यों, जहां निर्माण व्यय काफी अधिक है, में पीएमएवाई आवास इकाई लागत की पर्याप्तता की राज्य-वार समीक्षा की है;

(घ) क्या केन्द्रीय सहायता में संशोधन के संबंध में केरल से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लाभार्थियों की संतुष्टि से जुड़े सर्वेक्षणों की समीक्षा की गई है और क्या उनमें निधीयन में कोई कमी पाई गई है; और

(च) यदि हां, तो ग्रामीण निर्धनों के लिए किफायती और टिकाऊ आवास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास बनाने में सहायता प्रदान करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 19.03.2026 की स्थिति के अनुसार कुल 4.15 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.91 करोड़ आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.98 करोड़ आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।

(ख) से (च): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वित्तीय सहायता, मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की प्रति इकाई सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रति इकाई सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में और उत्तर-पूर्वी राज्यों, 2 पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, 100% लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, प्रति इकाई सहायता के अतिरिक्त, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से 90/95 कार्य दिवस की अकुशल मजदूरी की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या वित्त पोषण के किसी अन्य विशिष्ट स्रोत के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। पीएमएवाई-जी, लाभार्थियों को पाइप से पीने का पानी, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, सोलर लालटेन और स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा, सोलर रूफ टॉप आदि का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ अभिसरण करता है। इस संबंध में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए मौजूदा प्रति इकाई सहायता के साथ पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया था। वर्तमान में, इकाई लागत को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत प्रदान की जाने वाली इकाई लागत को संशोधित कर 4 लाख रुपये करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इकाई लागत को संशोधित करने के लिए इन और अन्य सुझावों की मंत्रालय में जांच की गई थी। इस संबंध में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए मौजूदा प्रति इकाई सहायता के साथ पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 14 अगस्त, 2024 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएमएवाई-जी के अगले चरण (2024-25 से 2028-29) के कार्यान्वयन के लिए योजना में किए गए संशोधनों के बारे में सूचित किया था, जिसमें योजना के तहत दी जाने वाली प्रति इकाई सहायता भी शामिल है।

पीएमएवाई-जी ने किफायती आवास तक पहुंच में सुधार करके ग्रामीण भारत पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसने ग्रामीण आवास परिदृश्य को बदलने, गरीबी कम करने,

जीवन स्तर में सुधार लाने और ग्रामीण भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। पीएमएवाई-जी का मूल्यांकन विभिन्न स्वतंत्र संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नीति आयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान आदि के माध्यम से भी किया गया है। योजना के मूल्यांकन के लिए किए गए अध्ययनों का विवरण निम्नानुसार है:-

I. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सुशासन मापदंडों का मूल्यांकन"

एनआईपीएफपी द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सुशासन मापदंडों का मूल्यांकन" पर एक तीन चरणों वाला अध्ययन किया गया था, जिसमें लिकेज को कम करने में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रभाव का आकलन भी शामिल था। मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. पीएमएवाई-जी आवासों को पूरा करने में लगने वाला औसत समय 314 दिन था, जो 2017-18 में घटकर 114 दिन रह गया है।
ii. निर्माण संबंधी सामग्रियों की बढ़ी हुई मांग ने अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।
iii. औसत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से पीएमएवाई-जी से पहले के आवास की तुलना में पीएमएवाई-जी के बाद खाद्य पदार्थों पर बढ़े हुए खर्च से प्रेरित है, जो बेहतर जीवन स्तर का संकेत देता है।
iv. शौचालयों के निर्माण के कारण पीएमएवाई-जी के बाद के घरों में खुले में शौच में काफी कमी देखी गई है, जिससे पीएमएवाई-जी लाभार्थी परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है।
v. पीएमएवाई-जी लाभार्थी परिवारों में एलपीजी गैस के उपयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

II. "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा "पीएमएवाई-जी का प्रभाव आकलन"

एनआईआरडी द्वारा यह अध्ययन इस बात का आकलन करने के लिए किया गया था कि लक्षित आबादी की वास्तविक स्थितियों में सुधार और नए आवास के स्वामित्व के परिणामस्वरूप उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में हुए सुधारों के संबंध में कार्यक्रम के उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. पीएमएवाई-जी आवास ने आवास के रखरखाव के बोझ को कम कर दिया है।
ii. पीएमएवाई-जी ने लाभार्थियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है–प्रदान की गई भौतिक सुविधाओं और व्यक्तिपरक कल्याण दोनों के संदर्भ में।

iii. पीएमएवाई-जी ने दो या दो से अधिक कमरे प्रदान करके आवासों में भीड़भाड़ को काफी हद तक कम कर दिया है।

iv. सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास का स्तर, स्वामित्व की भावना, सुरक्षा और संरक्षा की भावना, स्वास्थ्य में स्व-अनुभूत सुधार, जीवन की समग्र गुणवत्ता और नए आवास के प्रति संतुष्टि जैसे संकेतकों पर, पीएमएवाई-जी के लाभार्थी उन लाभार्थियों की तुलना में बहुत बेहतर महसूस करते हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, यानी वे लाभार्थी जिन्हें अभी तक पीएमएवाई-जी आवास प्राप्त नहीं हुआ है।

III. नीति आयोग - "पीएमएवाई-जी -2020-21 के संबंध में सीएसएस योजना का मूल्यांकन - ग्रामीण विकास क्षेत्र"

नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन अध्ययन के तहत, मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. आवास के निर्माण से लाभार्थियों के जीवन सुगमता में वृद्धि हुई है। आवास के निर्माण के साथ ही उनके जीवन स्तर में भी व्यापक सुधार हुआ है।

ii. पीएमएवाई-जी योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में सक्षम रहा है। आवासों की जिओ-टैगिंग, आवास गुणवत्ता समीक्षा मॉड्यूल और तकनीक-सक्षम वित्तीय मॉड्यूल, प्रौद्योगिकी का बहुत प्रभावी ढंग से लाभ उठाते हैं।

iii. पीएमएवाई-जी के तहत जेंडर मुख्यधारा को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। महिला लाभार्थियों के नाम पर आवास प्रदान करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवास का आवंटन, और महिलाओं को 'आवास मित्र' बनने के लिए क्षमता निर्माण करना, इस योजना के भीतर जेंडर मुख्यधारा लाने में योगदान देते हैं।

iv. आवेदन प्रक्रिया के प्रति लाभार्थियों की संतुष्टि सकारात्मक रही, जिसमें उन्हें महत्वपूर्ण सहायता और समर्थन प्रदान किया गया।
